न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 106/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/184

प्रार्थीः— **बनाम** **अप्रार्थीगण :—**

भुण्डाराम पुत्र लाबुराम जाति देवासी, निवासी आकड़ावास खुर्द तहसील पाली जिला पाली।

1. नारायणलाल पुत्र लाबुराम जाति देवासी निवासी आकड़ावास खुर्द तहसील पाली जिला पाली।
2. ग्राम पंचायत बानियावास पंचायत समिति पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश विदावत।

—: निर्णय :—

दिनांक : 17/09/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बानियावास द्वारा मिसल संख्या 44/96—97, संकल्प संख्या 03 दिनांक 12.11.99 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 487 दिनांक 19.11.99 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम आकड़ावास खुर्द में प्रार्थी का पुश्तैनी मकान आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का सगा भाई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने पुरे मकान का स्वयं के नाम से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। जैर निगरानी पट्टे हेतु अप्रार्थी ने न तो आवेदन पेश किया, न ही नक्शा शुल्क जमा करवाई, न ही आपत्ति नोटिस जारी किया गया और न ही अप्रार्थी के कब्जे सत्यापन हेतु स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी मकान का पट्टा ग्राम पचायत ने अकेले अप्रार्थी के पक्ष में बना दिया जबकि उक्त मकान में प्रार्थी का भी आधा हिस्सा आता है तथा वर्तमान में प्रार्थी का निवास व कब्जा भी है। ग्राम पंचायत ने अकेले अप्रार्थी के पक्ष में पुरा पट्टा बना दिया जो कि गलत है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टे को यदि निरस्त किया जाकर पुनः रिमाण्ड कर अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी के पक्ष में आधे आधे हिस्से का पट्टा जारी किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई एतराज नहीं है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बानियावास द्वारा मिसल संख्या 44/96-97, संकल्प संख्या 03 दिनांक 12.11.99 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 487 दिनांक 19.11.99 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी भूखण्ड का केवल अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। विपक्षी अधिवक्ता ने भी दौराने बहस यह स्वीकार किया कि जैर निगरानी मकान पुश्तैनी है जिसमें प्रार्थी का भी आधा हिस्स आता है तथा वर्तमान में वह निवासरत है और कब्जा है। अधिवक्ता अप्रार्थी स्वयं की यह स्वीकारोक्ति है कि जैर निगरानी मकान पुश्तैनी है तो इसके पश्चात् किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. साथ ही जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है और इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) WLC 168 (Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950 अनु. 226, पट्टा प्रदान किया जाना-सम्पति पैतृक है तथा याची के साथ ही उसके अन्य जीवित भाईयों व बहिनों का हित (अधिकारी) इसमें है-याची इस भूमि पर पूर्ण रूपेण अपना ही अधिवास होने का दावा करता है, जिससे ग्राम पंचायत ने अकेले ही उसके नाम में, अन्य सह-स्वामियों के आक्षेपों के करने के बाद भी पट्टा जारी किया था-अभिनिर्धारित जब तक विभाजन नहीं हो जाता तथा अंशों का सीमांकन नहीं हो जाता अथवा अन्य सह-स्वामी सहमति नहीं दे देते, तब तक पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है-अतः आदेश द्वारा इसको नामंजूर किया जाना उचित है-किसी हस्तेक्षप की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2024(5) WLC 210(Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950, अनु. 226-ग्राम पंचायत ने बी के पक्ष में पट्टा जारी किया था परन्तु निगरानी में इसे रद्द कर दिया गया-चुनौती-विवादित सम्पत्ति पैतृक है तथा स्वयं बी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है-अन्यथा भी यह एच, बी के पिता के नाम में थी जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री है-अतः एच की मृत्यु होने पर, यह पैतृक सम्पत्ति है-महज लम्बे समय से काबिज होने से पट्टा (स्वामित्व का दस्तावेज) बी को जारी नहीं किया जा सकता है-आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी सम्पत्ति का जारी किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों की सुनवाई आवश्यक है, केवल एक व्यक्ति के पक्ष में बिना सभी पक्षकारों को सुने पट्टा जारी करना गलत है क्योंकि सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी वारिसानों के हित और अधिकार समान होते हैं, इसलिये न्यायसंगत निर्णय के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों को अवसर देना आवश्यक होता है। सभी वारिसों को सुनना न्यायिक प्रक्रिया का मूल सिद्धान्त है ताकि किसी का अधिकार हनन न हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलैक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी का प्रमुख उज्र दौराने बहस यह भी रहा कि ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत अप्रार्थी को 15320.5 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर दिया जबकि पंचायती राज नियम 157 में केवल 300 वर्गगज तक के पट्टे ही जारी किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 157 का उद्देश्य पुराने गृहों के विनियमितीकरण का है न कि किसी व्यक्ति के पक्ष में बहुत बड़ी भूमि का पट्टा जारी करने का। यदि इस प्रकार 15320.5 वर्गफीट अर्थात् लगभग 1 बिघा भूमि का पट्टा एक व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है तो यह इस अधिनियम के मूल उद्देश्य का दुरूपयोग होगा, इसलिये जैर निगरानी पट्टा जो कि 15320.5 वर्गफीट की भूमि से सम्बन्धित है, जबकि 1996 के नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दारों पर पट्टा जारी होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निशचित रूप से नहीं किया गया। है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(क) के तहत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, उसके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया और न ही आवेदन पत्र पर किसी दिनांक का अंकन है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण आदेशिका पूर्व से निर्धारित प्रारूप में लिखी हुई थी, जिसमें विभिन्न दिनांक व आवेदक की अन्य जानकारी बाद में अंकित की गई है। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का जो नक्शा तैयार किया गया उस पर सायल के हस्ताक्षर ही नहीं है। नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable- Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान है, उनकी वल्दियती अंकित नहीं है। नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान कब लिये गये, इस सम्बन्ध में बयानफार्म पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। प्रकरण में पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम ग्राम पंचायत बानियावास द्वारा मिसल संख्या 44/96–97, संकल्प संख्या 03 दिनांक 12.11.99 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 487 दिनांक 19.11.99 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत बानियावास को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 17/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)